सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202
Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्र सं0–329 / सि0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2026 दिनांक 21/04/2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांकः डिग्री विकास / 150–51 / 2026–27 दिनॉक–20.04.2026, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संलग्न पत्र से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

भवदीय
21/04/26
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1– समस्त कुलसचिव,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास/ 150-51 /2026–27 दिनांकः 20/04/2026

विषयः-प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–200/सत्तर–3–2026–1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में है।

उक्त के क्रम में दिनांक 17.04.2026 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज, समस्त कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के मध्य हुई बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गयेः–

1–कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उच्च शिक्षा का टैब दिया जाएगा जिसमें संबंधित लाभार्थी के द्वारा अपना विवरण फीड किया जाएगा।

2–विवरण फीड किये जाने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विवरण दिखाई देगा जिसे वह अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

3–कुलसचिव के अनुमोदन के उपरांत संबंधित विवरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्टैट नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा के पास अग्रेसित हो जाएगा।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए समस्त संबंधितों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,
20/4/26
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
/नोडल अधिकारी
उ0प्र0,प्रयागराज।

पृ0सं0:डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक अधिकारी,आयुष्मान भारत स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) लखनऊ।

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
/नोडल अधिकारी
उ0प्र0,प्रयागराज।

Mr Jagdish
20/04/26

कार्यवृत्त

प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में कार्यालय आदेश सं0नि0(उ0शि0)/05/2026–27) दिनांक 17.04.2026 एवं संशोधित कार्यालय आदेश सं0नि0(उ0शि0)/12/2026–27) दिनांक 20.04.2026 के अनुसरण में निदेशालय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया था समिति की बैठक आज दिनांक 17.04.2026 को हुई जिसमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज, समस्त कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत, स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (**SACHIS**) के मध्य हुई बैठक में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित निर्णय लिए गये:–

1–कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (**SACHIS**) के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उच्च शिक्षा का टैब दिया जाएगा जिसमें संबंधित लाभार्थी के द्वारा अपना विवरण फीड किया जाएगा।

2–विवरण फीड किये जाने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विवरण दिखाई देगा जिसे वह अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

3–कुलसचिव के अनुमोदन के उपरांत संबंधित विवरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्टैट नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा के पास अग्रेसित हो जाएगा।

20/04/26

श्रीमती ऐश्वर्या,
कनिष्ठ सहायक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

20/04/26

श्री पुष्पेन्द्र सिंह कुशवाहा
वरिष्ठ सहायक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

श्रीमती पल्लवी शर्मा
प्रधान सहायक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

श्री राघवेन्द्र सिंह,
तकनीकी सहायक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

20/04/26

श्री शशि भूषण,
प्रशासनिक अधिकारी,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

डॉ0 विपिन तिवारी,
असि0 प्रो0,
हे0नं0ब0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नैनी, प्रयागराज।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा,
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, प्रयागराज।

सेवा में,

1– समस्त कुलसचिव,
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास/ /2026–27 दिनांकः / /2026

विषयः प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–260/सत्तर–3–2026–1975038 दिनांक 02 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में है।

उक्त के क्रम में दिनांक 17.04.2026 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज, समस्त कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ0प्र0 एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के मध्य हुई बैठक में निम्नवत निर्णय लिये गयेः–

1–कैशलेस चिकित्सा योजना सुविधा हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) के द्वारा अपनी वेबसाइट पर उच्च शिक्षा का टैब दिया जाएगा जिसमें संबंधित लाभार्थी के द्वारा अपना विवरण फीड किया जाएगा।

2–विवरण फीड किये जाने के पश्चात् संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव को विवरण दिखाई देगा जिसे वह अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

3–कुलसचिव के अनुमोदन के उपरांत संबंधित विवरण अग्रेतर कार्यवाही हेतु स्टैट नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा के पास अग्रेसित हो जाएगा।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए समस्त संबंधितों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

संलग्नकःयथोक्त।

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
/नोडल अधिकारी
उ0प्र0,प्रयागराज।

पृ0सं0:डिग्री विकास/ 150–152 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपिः–मुख्य कार्यपालक अधिकारी,आयुष्मान भारत स्टैट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (SACHIS) लखनऊ।

20/4/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0)
/नोडल अधिकारी
उ0प्र0,प्रयागराज।